कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक:- 26.07.2026

थाना बिंदकी पुलिस, सर्विलांस सेल एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में लूट की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई 990 अदद देशी शराब के पौवे (22 पेटी) एवं 62 अदद किंगफिशर बियर के कैन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08/09.07.2026 की रात्रि में थाना बिंदकी क्षेत्र स्थित नरैचा-अरईपुर घेरवा देशी शराब ठेका पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चौकीदार को बंधक बनाकर ठेके की दीवार तोड़ते हुए देशी शराब एवं बियर लूट ली गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिंदकी पर मु0अ0सं0 234/2026 धारा 309(2),309(4),331(6),127(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण एवं पुलिस उपाधीक्षक बिंदकी के कुशल नेतृत्व में थाना बिंदकी पुलिस, सर्विलांस सेल एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई प्रभावी कार्यवाही एवं साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर आज दिनांक 26.07.2026 को उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही एवं कब्जे से लूटी गई कुल 990 अदद देशी शराब के पौवे (22 पेटी) तथा 62 अदद किंगफिशर बियर के कैन बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस एवं धारा 60 आबकारी अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP71BK8926 को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों सूरज सोनकर एवं सुन्दर सोनकर के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत दिनांक 08/09.07.2026 की रात्रि में नरैचा अरईपुर घेरवा स्थित देशी शराब ठेके पर लूट की घटना कारित की थी। घटना के उपरांत लूटी गई शराब एवं बियर को खेतों में छिपाकर बाद में आपस में बांट लिया गया तथा बिक्री करने के उद्देश्य से शिवजीत के घर के बाहर बने टीनशेड वाले कमरे में छिपाकर रखा गया। इसके बाद निजी मोटरसाइकिल से शराब एवं बियर की बिक्री की जा रही थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई शराब, बियर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्तों की निशानदेही पर शेष लूटा गया माल भी बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करते हुए अपने अन्य साथी सूरज सोनकर एवं सुन्दर

सोनकर की संलिप्तता के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिनकी गिरफ्तारी हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दिलीप कुमार पासवान पुत्र नरेन्द्र कुमार पासवान निवासी ग्राम चकमाधवपुर थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. प्रेम सोनकर पुत्र फूलचन्द सोनकर निवासी ग्राम नन्दापुर थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।
3. शिवजीत पुत्र स्व० अजय सिंह निवासी ग्राम खूंटा झाल थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

1. 990 अदद लूटे गये देशी शराब के पौवे (22 पेटी)
2. 62 अदद किंगफिशर बियर के कैन
3. घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP71BK8926 (सीज)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. टीम A-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिंह, थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर।
2. उ0नि0 श्री जयलाल, प्रभारी चौकी खजुहा थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर।
3. उ0नि0 श्री नीरज कुमार मौर्या।
4. का0 रामकुमार।
5. का0 नरेन्द्र प्रताप बुन्देला।
6. रि0म0का0 दीपिका।
7. रि0का0 प्रांजल यादव।
8. रि0का0 ब्रजेश यादव।

2. टीम-B

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह, सर्विलांस सेल मय टीम जनपद फतेहपुर।

3. टीम- C

1. प्रभारी उ0नि0 प्रवीण यादव एसओजी मय टीम जनपद फतेहपुर।

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर